



## प्रेस नोट

### थाना धाता पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त मय एक अदद तमंचा व एक अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 11.09.2022 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के जिला बदर पुरस्कार घोषित के अनुपालन मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी खागा महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अभियान रोकथाम जुर्म जरायम के क्रम मे थाना धाता पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम देवरार से जिला बदर अभियुक्त बड़का पुत्र बकोली उम्र 27 वर्ष निवासी देवरार थाना धाता जनपद फतेहपुर के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर व 1 अदद कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करने के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/2022 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व मु0अ0सं0 143/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 142/2022 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना धाता जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 143/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धाता जनपद फतेहपुर

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. बड़का पुत्र बकोली उम्र 27 वर्ष निवासी देवरार थाना धाता जनपद फतेहपुर  
**बरामदगी**

1. 1 अदद तमंचा 315 बोर
2. 1 अदद कारतूस 315 बोर

### आपराधिक इतिहास:

1. 107/17 धारा 346/342 भादवि
2. 198/17 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
3. निल/19 धारा ¾ गुण्डा एक्ट



गिरफ्तारी व बरामदगी मे शामिल पुलिस टीम थाना धाता फतेहपुर

1. थानाध्यक्ष श्री आशुतोष कुमार सिंह
2. हे0का0 पंकज त्रिपाठी
3. का0 प्रभू नरायण पाण्डेय
4. का0 सतीश कुमार
5. म0का0 प्रियंका गौतम